जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 70 प्रभात अजमेर, मंगलवार 8 अक्टूबर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

पंजाब में दलित मु.मंत्री परीक्षण फेल होने के बाद राहुल सैलजा को मौका नहीं देंगे हरियाणा में

जैसा कि विदित ही है, पंजाब में कांग्रेस ने दलित नेता चन्नी को मु.मंत्री बनाया था, पर, अगले विधानसभा चुनाव में पावरफुल जाट सिख मतदाताओं ने कांग्रेस का पत्ता साफ कर दिया था

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणाम कल सुबह आने शुरु हो जाएंगे।

हरियाणा में कांग्रेस दस वर्षों के अंतराल के बाद सत्ता में वापस आने को तैयार लग रही है।

मुख्यमंत्री सीट पर भूपेन्द्र सिंह हूडा के आने की संभावना है, जिन्होंने अपने आपको राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया था।

सारे संकेत यही हैं कि गांधी परिवार का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त है और उन्होंने ही हूडा को खुली छूट दी थी।

यद्यपि लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने खुद को दलित चेहरे के रूप में पेश किया जो मुख्यमंत्री बनाए जाने का मौका चाहती हैं। उन्होंने पार्टी की जड़ें खोदने की कोशिशें इस हद तक की कि भाजपा ने उनकी बगावत का हवाला देकर बताया कि कांग्रेस में भारी अंतर्कलह है।

- **अतः गांधी परिवार हरियाणा में दलित चेहरे को मु.मंत्री के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, भूपेन्द्र सिंह हूडा को मु.मंत्री बनाने की इच्छा रखता है। यह उस समय ही उजागर हो गया, जब कांग्रेस के टिकट वितरण व चुनाव संचालन में हूडा को ''फ्री'' हैण्ड दिया था।**
- **जम्मू-कश्मीर में पांच मनोनीत विधायकों, जो पाक अधिकृत कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे, का विधानसभा में, चयन महत्वपूर्ण हो गया है। अगर राज्यपाल उनका अभी तुरन्त प्रभाव से मनोनयन करेंगे तो विधानसभा में उनका मतदान करना जायज़ होगा या नहीं, यह एक बहस का मुद्दा है। अगर, नयी सरकार के गठन के बाद, उनका मनोययन होता है तो नयी सरकार उनका मनोनयन करेगी और उनके द्वारा विधानसभा में मतदान विवादित नहीं होगा।**

पंजाब, जहां राहुल ने दलित मुख्यमंत्री चन्नी को आगे बढ़ाया था, में दलित चेहरे का प्रयोग असफल हो गया था, यहाँ चन्नी के आने के बाद जट सिख नाराज़ हो गए और राज्य में कांग्रेस का सफाया हो गया था।

इसी प्रकार हरियाणा में भी जाट जिनके पास पैसे की ताकत है और जिनका भारी दबदबा है, वे भी दलित को बतौर मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पंजाब के असफल दलित प्रयोग से राहुल सबक सीख गए हैं और अब राजनैतिक रूप से वे काफी समझदार हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर मे उमर अब्दुल्लाह मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे है, हालांकि यहां भाजपा सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है।

गत चुनावों में भाजपा जम्मू से 25 सीटें जीती थी, इस बार भी 2-3 सीटों की घट बढ़ हो सकती है। बहुमत की संख्या 46 है और कोई भी पार्टी भाजपा से गठबंधन नहीं करेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नया विवाद ना हो इसलिए सी.एम. ने अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी

जयपुर, 7 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में प्रार्थना पत्र पेश कर 13 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जर्मनी और इंग्लैंड जाने के लिए अनुमति मांगी है। प्रार्थना पत्र पर अदालत 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा के जरिए प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि प्रार्थी के खिलाफ एक मामले में 30 सितंबर 2013 को कोर्ट में चालान पेश किया गया था। यह मामला पिछले 11 साल से पेंडिंग चल रहा है। प्रार्थी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अक्सर राजकार्य से बाहर जाना पड़ता है। उन्हें ''राइज़िंग राजस्थान'' कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों से चर्चा व संवाद और प्रदेश में निवेश के निमंत्रण के लिए इंग्लैंड व जर्मनी की यात्रा करनी प्रस्तावित है। ऐसे में उन्हें राजकार्य के हितार्थ 13 से 25 अक्टूबर तक इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा का

- **गत दिनों मुख्यमंत्री की कोरिया व जापान की यात्रा के समय एक व्यक्ति ने उन के अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने के कारण जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पत्रकार द्वारा सरकार की आलोचना अपराध नहीं हैं'

सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. सरकार द्वारा पत्रकार के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस रद्द करते हुए टिप्पणी की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। पत्रकारों को एक बड़ी राहत देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर पत्रकारों के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय तथा एस.वी.एन. भट्टी की बैंच ने गत सप्ताह उत्तर प्रदेश पुलिस को एक पत्रकार पर बल प्रयोग करने से रोक दिया, जिसने योगी आदित्यनाथ प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की तैनाती में ''जातीय झुकाव'' के बारे में एक लेख लिखा था।

बैंच ने कहा, ''लोकतन्त्रिक देशों में, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का सम्मान होता है। पत्रकारों के अधिकार संविधान के अनुच्छेद (191) (1) (ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ इसलिए, कि किसी पत्रकार के लेख सरकार की आलोचना माने जा रहे हैं, उस लेखक (पत्रकार) के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर नहीं किया जाना चाहिए।''

पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, जिनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट अनूप प्रकाश अवस्थी कर रहे हैं, ने कहा कि उन्होंने देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ ''भारतीय न्याय संहिता'' के विभिन्न प्रावधानों तथा ''इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट'' की धारा 66 (कम्प्यूटर से सम्बन्धित अपराध) के तहत, एक ''सारहीन'' एफ.आई.आर. दर्ज की है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पत्रकार के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत संरक्षित हैं। सिर्फ इसलिए कि पत्रकार के आलेख में सरकार की आलोचना है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं बनता।**
- **यह याचिका पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने दायर की थी, जिनके एक आलेख को लेकर यू.पी. पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया था।**
- **उपाध्याय ने अपने आलेख में यू.पी. के प्रशासनिक पदों में जाति विशेष के प्रति रूझान होने की बात कही थी।**

पत्रकार ने अपनी याचिका में कहा कि एफ.आई.आर. की प्रस्तावना में ही, ''उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री की तुलना ईश्वर के अवतार से की गई है, इसलिए उनका सामान्य प्रशासन जातीय सोच के किसी भी आलोचनात्मक विश्लेषण से परे है।''

याचिका में कहा गया है कि ''सत्य की सेवा करना, सत्ता को जवाबदेह बनाना तथा किसी भय या पक्षपात के बिना जनता को वस्तुस्थिति की जानकारी देना पत्रकार का कर्तव्य होता है।''

उपाध्याय एफ.आई.आर. को उद्धृत करते हुए कहा, ''माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ईश्वर के अवतार की तरह हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के सभी मुख्यमन्त्रियों में, कोई भी मुख्यमंत्री लोकप्रियता के मामले में महाराज जी के नजदीक भी नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर, महाराज जी मुख्यमंत्री की तुलना में सबसे अधिक हैं। चूँकि महाराज जी मुख्यमंत्री बन गये, इसलिए उत्तर प्रदेश कानून-व्यवस्था के मामले में भारत में सर्वोच्च स्थान पर पहुँच गया है। उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चामुण्डा मंदिर रोड पर गरबा कार्यक्रम के पास पैंथर देखा गया

ढोल गाँव में सांय 5 बजे ही कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं

उदयपुर, 7 अक्टूबर (कासं)। जिले के गोगुंदा-बड़गांव से सटे जंगलों में वन विभाग के शूटर और वन विभाग के कर्मचारी 9 लोगों का शिकार कर चुके आदमखोर पैंथर की तलाश कर रहे हैं। इस इलाके से करीब 30 किलोमीटर दूर नांदेशमा क्षेत्र में चामुंडा माता मंदिर रोड पर रविवार रात एक पैंथर विचरण करता दिखाई दिया है।

पैंथर के मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो जसवंतगढ़ से नांदेशमा रोड से गुजर रहे कुछ कार सवारों ने बनाया। वीडियो में पैंथर सड़क पर घूमता नज़र आ रहा है। जिस स्थान पर पैंथर को देखा गया, उससे कुछ ही दूरी पर गरबा कार्यक्रम चल रहा था। कार सवारों ने बताया, वाहनों की लाइट जैसे ही पेंथर की आंखों पर पड़ती, वह झाड़ियों में घुस जाता और फिर वापस सड़क पर आ जाता था।

गोगुंदा में जिस जगह पर वन विभाग की टीम आदमखोर पैंथर को तलाश कर रही है वहां से 10 किलोमीटर दूर रावलिया खुर्द ग्राम पंचायत के चुंडावतों का गुड़ा में पैंथर ने सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे वीरेंद्र सिंह के बाड़े में बंधी दो बकरियों को मार डाला। लोगों ने इसकी सूचना सरपंच हीरा लाल भील और कांग्रेस के नांदेशमा मंडल के अध्यक्ष ओमप्रकाश जोशी को दी और पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगाया।

- **गरबा कार्यक्रम से कुछ ही दूरी पर कुछ कार सवारों ने पैंथर को सड़क पर घूमते देखा और उसके मूवमैंट का वीडियो भी बनाया। वाहनों की लाइट पड़ते ही पैंथर झाड़ियों में घुस जाता था और फिर वापस सड़क पर आ जाता था।**

गोगुंदा सायरा थाना क्षेत्र के ढोल गांव के लोग पैंथर के डर में जीने को मजबूर हैं। ढोल गांव के आस-पास पैंथर तीन लोगों और गाय, बकरियों का शिकार कर चुका है। ढोल ग्राम पंचायत के सरपंच मोहन लाल गमेती ने कलेक्टर को पत्र लिखकर गांव में पिंजरा लगवाने की मांग की है, लेकिन, अभी तक पिंजरा नहीं लगाया गया है। लोग मवेशियों को जंगल में ले जाने से डर रहे हैं। पशुओं को दिनभर बाड़े में ही रखकर चारा -पानी दे रहे हैं। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा, अगर पिंजरा नहीं लगाया जाता है तो सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। आदमखोर पैंथर जिंदा है, इसलिए शाम को 5 बजते ही गांव में कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं।

जानकारी के अनुसार, उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर ऋषभदेव के पास एक पैंथर ने दो बछड़ों का शिकार किया है। यहां पर पगल्याजी रिछा गोड घाटा पर कमलेश नाथ पुत्र लक्ष्मण नाथ के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एस.एम.एस. स्टेडियम का संचालन कैसे हो रहा है'

जयपुर, 7 अक्टूबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आर.सी.ए. के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले में महाधिवक्ता को 10 अक्टूबर को रिकॉर्ड सहित यह बताने को कहा है कि सरकारी संपत्ति को सोसायटी कैसे चलाती है। इसके अलावा एस.एम.एस. स्टेडियम का संचालन कौन कर रहा है और उसका मालिकाना हक किसके पास है। अदालत ने सरकार को कहा कि कोर्ट जानना चाहता है कि आखिर सरकारी संपत्ति का संचालन इस तरह कैसे होता है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश आर.सी.ए. के तत्कालीन सचिव भवानी शंकर सामोता सहित अन्य की ओर से पेश आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में आर.सी.ए. की एडहॉक कमेटी की ओर से गत 8 अगस्त को ज्योति नगर थाने में दर्ज एफ.आई.आर. को चुनौती दी गई है।

- **हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता को रिकॉर्ड सहित यह बताने को कहा कि सरकारी सम्पत्ति को सोसायटी कैसे चलाती है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगर राज्यपाल द्वारा मनोनीत 5 विधानसभा सदस्य को जोड़ें तो विधानसभा 95 सदस्यीय हो जाती है

और, सरकार बनाने के लिए 48 सदस्यों का समर्थन चाहिये जम्मू-कश्मीर में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। कांग्रेस और भाजपा हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में अपनी-अपनी जीत के बढ़-चढ़ कर दावे कर रहे हैं। ज्ञातव्य है कि इन दोनों ही राज्यों में अधिकृत मतगणना मंगलवार को होनी है।

कांग्रेस जहाँ हरियाणा, में भाजपा के 10 वर्षों के शासन के बाद, सत्ता में लौटने को लेकर आश्वस्त है, वहीं जम्मू-कश्मीर में भी कांग्रेस नेता अपनी बढ़त मानकर चल रहे हैं, हालाँकि वे इस बात को लेकर शंकित भी हैं कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में 5 सदस्य मनोनीत करके परिणामों को उलट भी सकते हैं।

कांग्रेस के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधानसभा के गठन से पहले, लेफ्टिनेंट गवर्नर (एल.जी.) द्वारा 5 विधायकों का मनोनयन लोकतन्त्र पर एक हमला है। जैसे ही एग्ज़िट पोल्स में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की, राजनैतिक तनाव पैदा होने शुरू हो गए तथा नामजद सदस्यों के असर को लेकर चिन्ताएं बढ़ने लगीं।

- **भाजपा के 25 सदस्य थे, पिछली विधानसभा में। इस बार दो-तीन सीटों की बढ़त हो सकती है, भाजपा विधायकों की संख्या में।**
- **जम्मू-कश्मीर रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट, 2019, व उसके 26 जुलाई 2023 के संशोधित रूप के अनुसार, राज्यपाल दो और महिलाओं को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं, अगर राज्यपाल यह महसूस करते हैं कि विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कम है या उपयुक्त नहीं है।**
- **इसके अलावा निर्दलीय व छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के विधायकों की संख्या 18 आंकी है, एग्ज़िट पोल ने।**
- **अतः विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद जम्मू-कश्मीर में शान्ति का वातावरण शायद न उभरे बल्कि खींचतान काफी दिनों तक बरकरार रहेगी।**

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये 5 विधायक, जे कश्मीरी विस्थापितों तथा पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.जे.के.) के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे, को वे सभी विधाई शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो निर्वाचित विधायकों को होते हैं। कांग्रेस पार्टी, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, ने इस कार्यवाही को लोकतन्त्र तथा संविधान के मूल सिद्धान्तों पर हमला बताया है।

इस मनोनयन प्रक्रिया का उल्लेख जम्मू-कश्मीर रिआर्गनाइज़ेशन एक्ट, 2019 में किया गया है, जिसे 26 जुलाई, 2023 को और संशोधित कर दिया गया था। जैसा कि कहा जा रहा है, अगर विधायक मनोनित किए जाते हैं, तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़कर 95 हो जायेगी तथा सरकार के गठन के लिए बहुमत की सीमा रेखा बढ़कर 48 हो जाएगी।

''पुनर्गठन अधिनियम'' में विशेष रूप से कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के एल.जी. महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो सदस्यों के मनोनित कर सकेंगे, ''अगर उनके विचार से विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यथोचित नहीं है।''

तीन हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर, 7 अक्टूबर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त फरमान उर्फ चड्डी, मोहम्मद इरफान और सोहेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने 20 और 21 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 1.53 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर, 2021 को मोहम्मद नासिर ने गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात करीब 11.45 बजे मोहल्ले में रहने वाले फैजान और आरिफ उसके छोटे भाई बिलाल को घायल अवस्था में घर लेकर आये थे। इस दौरान बिलाल की छाती से खून बह रहा था। आदिल ने उसे बताया कि बिलाल और मोहम्मद आदिल के साथ अभियुक्त लड़कों ने झगड़ा किया था। जब उसने बीच बचाव किया तो एक अभियुक्त ने उसके हाथ और पीठ पर चाकू से वार किया, वहीं बाद में अभियुक्त बिलाल की छाती पर चाकू से वार कर वहां से फरार हो गए। तीनों लड़के

- **सितम्बर 2021 में आपसी रंजिश के चलते अभियुक्तों ने बिलाल नामक युवक की चाकू मारकर हत्या की थी।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली के फॉरैन प्रैस क्लब में तख्ता पलट

एक गुट ने मीटिंग बुला कर फॉरैन करस्पॉन्डैंट्स क्लब के निर्वाचित पदाधिकारियों को पद से हटा दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर। बेहद नाटकीय घटनाक्रम में एक गुट ने फॉरेन करसपॉन्डैंट्स क्लब (एफ.सी.सी.) ऑफ साउथ एशिया के निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव को हटाकर अपनी टीम स्थापित कर ली। गत जुलाई में निर्वाचित पदाधिकारियों को उस मीटिंग का नोटिस तक नहीं दिया गया, जिसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।

जिन पत्रकारों को हटाया गया, उनमें वरिष्ठ पत्रकार एस. वैंकट नारायण भी शामिल थे, जो गत दिनों 92 वर्ष के हुए थे। उपाध्यक्ष सीरिया के वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार वाएल अव्वद और महासचिव प्रकाश नंदा, जो यूरेशियन टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं इन्हें भी हटा दिया गया है।

वैंकट नारायण ने शनिवार को क्लब लॉक कर दिया था। क्लब सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने है। इस पर विरोधी गुट ने एक गुण्डे की मदद ली, जिसे प्रैस क्लब ऑफ इंडिया से निष्कासित किया गया था क्योंकि उसने एक वरिष्ठ पत्रकार व उसके मेहमान, के साथ मारपीट की थी। क्लब सरकारी भवन में है।

संगठन के आठ सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने दिल्ली में रहने वाली विदेशी मामलों की विश्लेषक सिमरन सोढी को अंतरिम अध्यक्ष और डिप्लोमैट के संवाददाता संजय कुमार को अंतरिम महासचिव बनाया है।

एफ.सी.सी. 500 से ज्यादा पत्रकारों का क्लब है, जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और तिब्बत को कवर करने वाले पत्रकार शामिल हैं। पदाधिकारियों को अचानक हटाने से स्पष्ट है कि प्रशासनिक मसले पर तनाव होगा, क्योंकि कई सदस्य, जो मीटिंग में मौजूद नहीं थे, ने इस निष्कासन को अवैध ठहराया है। नए अंतरिम महासचिव संजय कुमार ने कहा कि संगठन क्लब के आंतरिक मामलों और चर्चा के बारे में मीडिया से कोई बात नहीं करेगा।

एफ.सी.सी.की मैनजिंग कमेटी में 11 सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव भी शामिल हैं। लेकिन एफ.सी.सी.के एक कोर मैम्बर ने कहा कि 8 बचे सदस्यों में से चार निर्वाचित हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार है तथा चार मनोनीत सदस्य हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं है।

- **हटाए गए पदाधिकारियों में वरिष्ठ पत्रकार एस. वेंकट नारायण (92) भी शामिल हैं, जो इस क्लब में अध्यक्ष हैं। महासचिव प्रकाश नंदा व उपाध्यक्ष सीरिया के पत्रकार वाएल अव्वाद को भी हटा दिया गया।**
- **इस गुट ने विदेशी मामलों की विश्लेषक सिमरन सोढ़ी को अतंरिम अध्यक्ष और डिप्लौमैट पत्रिका के संवाददाता संजय कुमार को अंतरिम महासचिव बनाया है।**
- **क्लब के एक गुट ने इस कार्यवाही को गैर कानूनी करार दिया और अदालत में जाने का मन बनाया।**
- **क्लब के एक सदस्य ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि यह सारा खेल अगले माह होने जा रहे इन्टरनैशनल एसोसिएशन ऑफ प्रैस क्लब के कार्यक्रम की वजह रचा, गया है जिसमें काफी विदेशी पत्रकार भी आएंगे।**

उक्त सदस्य ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि शुक्रवार को 8 सदस्यों ने मिलकर पदाधिकारियों को बिना सूचना दिए पद से हटा दिया और कहा कि पदाधिकारी अपना विश्वास खो चुके हैं, इसलिए वे उन्हें हटाकर खुद चार्ज ले रहे हैं। इन सदस्यों ने इस कार्यवाही को अवैध बताया। इस सदस्य का कहना था कि सिर्फ अध्यक्ष ही मीटिंग बुला सकता है, फिर इनका चार निर्वाचित सदस्यों का कोरम भी पूरा नहीं था, क्योंकि इनमें से चार को वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था। ये लोग निर्वाचित सदस्यों को नहीं हटा सकते थे।

एफ.सी.सी. सदस्यों ने गत कुछ माह के घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसकी वजह से इस सप्ताह अचानक मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। उन्होंने बताया कि एफ.सी.सी. इंटरनैशनल एसोसिएशन ऑफ प्रैस क्लब्स का सदस्य है। इसमें 35 देशों के 40 क्लब्स शामिल हैं। हर वर्ष किसी एक देश में आई.ए.पी.सी. का सम्मेलन होता है। गत वर्ष लंदन में हुआ था इस वर्ष नवम्बर में यह सम्मेलन भारत में होना था। दस साल पहले भी भारत में सम्मेलन हुआ था।

लेकिन यूक्रेन व गाज़ा में चल रहे युद्ध को और अमेरिका के चुनावों को देखते हुए तय किया गया कि अगले माह ही मीटिंग बुला ली जाए। इस पर 20 जुलाई को हुई ए.जी.एम. में चर्चा हुई थी। जब सदस्य आते हैं तो वे अपने होटल में रहने का खर्चा खुद उठाते है और सदस्यता शुल्क भी देते हैं। यह तय किया गया था कि मीटिंग के दो दिन बाद सभी को ताजमहल घुमाने ले जाया जाएगा, जिस पर तकरीबन तीन लाख रु. का खर्च आता, ए.जी.एम. में यह जानकारी दे दी गई थी।

मीटिंग, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)